[2008) 4 एस.सी.आर. 686

रामगढ़ छावनी बोर्ड एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं (सिविल अपील संख्या 4498 / 2002)

11 मार्च, 2008

[अशोक भान एवं दलवीर भंडारी, न्यायाधीश]

छावनी अधिनियम, 1924 - धारा 60 - बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 - धारा 82, 137 और 326 - रामगढ़ छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश कर - छावनी बोर्ड की कर लगाने की शक्ति · - **निर्णय:** छावनी बोर्ड की कर लगाने की शक्ति नगरपालिका में निहित किसी भी ऐसी संगत शक्ति पर निर्भर और सह-व्यापक है। - एक बार नगरपालिका को प्रासंगिक अधिनियम के तहत प्रवेश कर लगाने की शक्ति निहित हो जाने पर, छावनी बोर्ड भी उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। - बिहार में नगर पालिकाओं को 1922 के अधिनियम के तहत यंत्रचालित वाहनों पर प्रवेश कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार, छावनी बोर्ड रामगढ़, बिहार रामगढ़ छावनी बोर्ड क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए वाहन प्रवेश कर नहीं लगा सकता है। - नगरपालिकाएँ।

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह छावनी बोर्ड की छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश कर लगाने की शक्ति, क्षमता और अधिकार के बारे में था।

अपीलकर्ता संख्या 1-रामगढ़ छावनी परिषद ने रामगढ़ छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों से कर वसूलने के लिए निविदा आमंत्रित की। प्रतिवादी संख्या 3 को अनुबंध प्रदान किया गया तथा उसे रामगढ़ छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन से छह

महीने तक वाहन कर वसूलने के लिए कहा गया। एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। **प्रतिवादी संख्या 3** ने बयाना राशि जमा कर दी। तत्पश्चात, अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 को उपायुक्त, हजारीबाग, बिहार के निर्देश पर वाहन प्रवेश कर वसूलने से रोक दिया। छावनी परिषद को केवल वही कर वसूलने का अधिकार था, जो नगरपालिका द्वारा वसूला जा सकता था। प्रतिवादी संख्या 3 ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने प्रवेश कर वसूलने पर प्रतिबंध लगाने वाले उपायुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। झारखंड राज्य ने अपील दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1.1 छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 60 की उपधारा (1) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किसी भी कर को लगाने की शक्ति किसी भी ऐसी संगत शक्ति पर निर्भर है और उसके साथ सह-व्यापक है जो नगरपालिका में निहित हो सकती है, जो ऐसी नगरपालिका की शक्तियों से संबंधित, शासित या विनियमित करने वाले विधायी अधिनियमों से संबंधित और निर्भर है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सही ढंग से माना कि अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र प्रावधान नहीं है, इस अर्थ में कि बोर्ड को कर लगाने की शक्ति नहीं दी गई है और यह प्रावधान नगरपालिका के विधायी अधिनियमों में किसी भी संगत समान प्रावधान से संबंधित और निर्भर है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी क्षेत्र में नगरपालिका के पास धारा 60 की उपधारा (1) के तहत बनाई गई शक्ति के आधार पर किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत कर लगाने की शक्ति है, तो वही शक्ति छावनी बोर्ड में निहित होगी। [पैरा 7 और 8] [692-सी-एफ]

1.2 बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 326 में प्रावधान है कि किराये पर चलने वाले सभी वाहनों को नगरपालिका द्वारा कर लगाने से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है और परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड के पास किराये पर चलने वाले वाहनों पर प्रवेश कर लगाने की कोई शक्ति या क्षमता नहीं है। [पैरा 13] [695-ई]

1.3 वाहन और मोटर कार को परिभाषित करने वाले 1922 अधिनियम की धारा 3(30) और 3(30-ए) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि नगरपालिका के पास यंत्रचालित वाहनों पर कोई प्रवेश कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

जब नगरपालिका के पास यंत्रचालित वाहनों पर प्रवेश कर लगाने की कोई शक्ति या क्षमता नहीं है, तो स्पष्टतः छावनी बोर्ड इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि छावनी बोर्ड की कर लगाने की शक्ति नगरपालिका में निहित किसी भी ऐसी समतुल्य शक्ति पर निर्भर और उसके साथ सह-व्यापक है। [पैरा 14 और 15] 696-बी-सी]

1.4 1922 के अधिनियम की धारा 137 में यह निर्धारित किया गया है कि केवल प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट वाहनों, घोड़ों और अन्य पशुओं पर ही कर लगाया जा सकता है और प्रथम अनुसूची में सभी यंत्रचालित वाहन स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं। धारा 137 के अनुसार, यह शब्द कि कर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के प्रत्येक वाहन, घोड़े या अन्य पशु पर लगाया जा सकता है जिसे नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में रखा जाता है या उपयोग किया जाता है; इसका अर्थ है कि वाहन, घोड़ा या अन्य पशु जिसे नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में रखा जाता है या उपयोग किया जाता है, ऐसा कर देने के लिए बाध्य होगा। इसमें स्पष्ट रूप से यंत्रचालित वाहनों के लिए प्रवेश कर लगाना शामिल नहीं है। इस प्रकार, धारा 82 और 137 या 1922 के अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान नगरपालिका को यंत्रचालित वाहनों पर कोई प्रवेश कर लगाने की अनुमति नहीं देता है। चूंकि नगरपालिका के पास यंत्रचालित वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने की ऐसी कोई शक्ति, क्षमता या अधिकार नहीं है, इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़, बिहार स्पष्ट रूप से उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। [पैरा 18 और 19] [696-जी-एच; 697-ए-सी]

1.5 मध्यप्रदेश में नगरपालिकाओं द्वारा लगाया जाने वाला वाहन प्रवेश कर विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं को ऐसा कर लगाने के लिए दी गई विशिष्ट शक्ति के कारण है। एक बार नगरपालिका को प्रवेश कर लगाने की शक्ति प्राप्त हो जाने पर, छावनी बोर्ड भी उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 1922 के अधिनियम के तहत बिहार में

नगरपालिकाओं को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है और परिणामस्वरूप, छावनी बोर्ड, रामगढ़, बिहार रामगढ़ छावनी बोर्ड क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए वाहन प्रवेश कर नहीं लगा सकता है। **छावनी बोर्ड, महू और अन्य बनाम एम.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम** के मामले की समानता पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि रामगढ़ छावनी बोर्ड भी वाहन प्रवेश कर लगाने में न्यायोचित है। [पैरा 23] [698-बी-डी]

छावनी बोर्ड, महू और अन्य बनाम एम.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम 1997 (9) एससीसी 450 - विभेदित।

अविनाश एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2004(2) महाराष्ट्र एल.जे. 511; सिकंदराबाद छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद बनाम एमआईएस अलाइड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एवं अन्य 1997 (1) आंध्र वीकली रिपोर्टर 160 - अस्वीकृत।

1.6 उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सही टिप्पणी की कि हजारीबाग के उपायुक्त द्वारा छावनी बोर्ड द्वारा लगाए गए कर पर आपत्ति जताना पूरी तरह से उचित था, क्योंकि बिहार में संबंधित नगर पालिकाओं को वाहन प्रवेश कर लगाने के लिए समान अधिकार नहीं दिए गए थे। विधायी योजना के मद्देनजर, छावनी बोर्ड को ऐसा प्रवेश कर लगाने से रोक दिया गया था। [पैरा 26] [699-जी-एच; 700-ए]

1.7 यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में उपयोग किए जाने वाले या नगरपालिका के बाहर रखे जाने वाले तथा नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर धारा 137 के अंतर्गत कर लगाने का अधिकार, वाहन प्रवेश कर लगाने से अलग है। अधिनियम के अनुसार नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में रखे जाने वाले तथा नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में उपयोग किए जाने वाले वाहनों, घोड़ों तथा अन्य जानवरों पर धारा 137 के मापदंडों के भीतर कर लगाना, छावनी बोर्ड द्वारा प्रवेश कर लगाने से अधिक स्वीकार्य है। छावनी बोर्ड के पास अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने का कोई अधिकार या क्षमता नहीं

थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से न्यायोचित हैं तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 27] [700-बी-डी]

1.8 मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जमा की गई राशि उसे वापस कर दी जाए क्योंकि प्रतिबंध आदेश के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 3 वाहनों पर प्रवेश कर लगाने के लिए कोई राशि एकत्र नहीं कर सका। यह निर्देश समानता, निष्पक्षता और अच्छे विवेक के कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। [पैरा 28] [700-एफ-जी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4498 / 2002.

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 4.10.2001 के एल.पी.ए. संख्या 556 / 2001 के निर्णय एवं आदेश से -

अपीलकर्ताओं की ओर से एस.बी. सान्याल एवं रंजन मुखर्जी।

प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से बी.बी. सिंह एवं नीलेश सिन्हा।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अखिलेश कुमार पांडेय एवं सुदर्शन सरन।

दलवीर भंडारी, जे. 1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर, 2001 को लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 556/2001 में पारित निर्णय के विरुद्ध है।

2. इस अपील में जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश कर लगाने की छावनी बोर्ड की शक्ति, क्षमता और अधिकार के बारे में है।

3. अपीलकर्ता संख्या 1, रामगढ़ छावनी बोर्ड, जो कि छावनी अधिनियम, 1924 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत गठित एक बोर्ड है, ने अधिनियम की धारा 60 के तहत निहित शक्ति के तहत रामगढ़ छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहन कर के संग्रह के लिए निविदा आमंत्रित की। इस अपील में प्रतिवादी संख्या 3, मुकेश प्रसाद, जो कि सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, को अनुबंध दिया गया और उसे 12.3.2001 से शुरू होने

वाले छह महीने की अवधि के लिए रामगढ़ छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक माल वाहन से 10 रुपये की दर से वाहन कर वसूलने के लिए कहा गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने बयाना राशि जमा कर दी। 8.3.200 को प्रतिवादी संख्या 3 और छावनी बोर्ड के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ।

उक्त अनुबंध के निष्पादन के तुरंत बाद छावनी परिषद ने 11.3.2001 को एक पत्र जारी कर प्रतिवादी संख्या 3 को हजारीबाग, बिहार के उपायुक्त के निर्देश पर वाहन प्रवेश कर वसूलने से रोक दिया।

4. सचिव, पथ निर्माण विभाग, रांची ने पत्रांक 30.5.2001 द्वारा सूचित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर वसूलने के लिए बैरियर लगाने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्व अनुमति आवश्यक है। छावनी परिषद को केवल वही कर वसूलने का अधिकार है जो नगरपालिका द्वारा वसूला जा सकता है। दूसरे शब्दों में, छावनी परिषद वह कर नहीं वसूल सकती जो नगरपालिका द्वारा नहीं वसूला जा सकता।

5. 26. 7. 2001 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि हजारीबाग के उपायुक्त छावनी बोर्ड को छावनी बोर्ड क्षेत्र से गुजरने वाले मालवाहक वाहनों पर प्रवेश कर लगाने से नहीं रोक सकते। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत हजारीबाग के उपायुक्त द्वारा प्रवेश कर वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

6. झारखंड राज्य ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील दायर की। विवादित निर्णय में खंडपीठ ने छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश कर लगाने में छावनी बोर्ड की शक्ति, अधिकार और क्षमता की व्यापक रूप से जांच की। छावनी अधिनियम, 1924 में धारा 60 निहित है जो कर लगाने के लिए शक्ति, अधिकार और अधिकार क्षेत्र का स्रोत है। धारा 60 इस प्रकार है:-

"60. कराधान की सामान्य शक्ति-(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, किसी छावनी में कोई कर लगा सकेगा, जो किसी समय प्रवृत्त अधिनियम के अधीन उस राज्य की किसी नगरपालिका में लगाया जा सकता है, जिसमें ऐसी छावनी स्थित है। (2) इस धारा के अधीन लगाया गया कोई कर, राजपत्र में उसकी अधिसूचना की तारीख से या जहां अधिसूचना में इस संबंध में कोई बाद की तारीख हो, वहां ऐसी बाद की तारीख से प्रभावी होगा।"

7. धारा 60 की उपधारा (1) को पढ़ने से स्पष्ट है कि कोई कर लगाने की शक्ति किसी ऐसी तत्स्थानी शक्ति पर निर्भर है और उसके साथ सह-व्यापक है जो नगरपालिका में निहित हो सकती है, जो ऐसी नगरपालिका की शक्तियों से संबंधित, शासित या विनियमित करने वाले विधायी अधिनियमों से संबंधित और उन पर निर्भर है।

8. खंडपीठ ने सही माना है कि छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 60 की उपधारा (1) अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र प्रावधान नहीं है, इस अर्थ में कि बोर्ड को कर लगाने की शक्ति अपने आप में नहीं दी गई है और यह प्रावधान नगरपालिका के विधायी अधिनियम में किसी भी संगत समरूप प्रावधान से संबंधित और आश्रित है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी क्षेत्र में नगरपालिका के पास धारा 60 की उपधारा (1) के तहत बनाई गई शक्ति के आधार पर किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत कर लगाने की शक्ति है, तो वही शक्ति छावनी बोर्ड में निहित होगी। यह पता लगाने के लिए कि क्या छावनी बोर्ड के पास प्रवेश कर लगाने की कोई शक्ति है, यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या नगरपालिका के पास प्रवेश कर लगाने की कोई शक्ति है।

9. बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 (संक्षेप में 1922 अधिनियम) का अध्याय IV नगरपालिका कराधान के विषय से संबंधित है। अध्याय IV का भाग-I करों के अधिरोपण के विषय से संबंधित है। धारा 82 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"82. कर लगाने की शक्ति;-(1) आयुक्त, समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से बुलाई गई बैठक में, जिसकी सूचना इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दी

गई होगी और राज्य सरकार की मंजूरी से, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित कर और शुल्क, या उनमें से कोई भी लगा सकते हैं -

Xxx xxx xxx

Xxx xxx xxx

(च) प्रथम अनुसूची में नामित वाहनों, घोड़ों और अन्य जानवरों पर कर।

xxx xxx xxx."

10. धारा 82 के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची में नामित वाहनों तथा अन्य पशुओं पर कर तथा शुल्क लगाया जा सकता है। अतः हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रथम अनुसूची में क्या सम्मिलित किया गया है। नगर पालिका अधिनियम 1922 की प्रथम अनुसूची का सार इस प्रकार है:-

"प्रथम अनुसूची"

वाहनों, घोड़ों तथा अन्य पशुओं पर कर

	प्रति तिमाही रुपये प्रति व्यक्ति
दो घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक चार पहिया वाहन के लिए	10.00
ऊपर निर्दिष्ट वाहनों के अलावा प्रत्येक चार पहिया वाहन के लिए	5.00
प्रत्येक दो पहिया वाहन के लिए जिसमें शामपानी शामिल है,	
लेकिन साइकिल को छोड़कर।	4.00
हर साइकिल के लिए	1.00
हर साइकिल रिक्शा के लिए	2.50

हर जिन रिक्शा के लिए	2.00
टट्टू के अलावा हर घोड़े के लिए	2.00
हर टट्टू, खच्चर या गधे के लिए	1.00
हर हाथी के लिए	6.00
हर ऊँट के लिए	2.00"

11. अध्याय IV का भाग IV वाहनों, घोड़ों और अन्य जानवरों पर कर से संबंधित है। धारा 137 के प्रासंगिक भाग पर ध्यान देना उचित होगा, जो वाहनों, घोड़ों और अन्य जानवरों पर कर से संबंधित है। धारा 137 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "137. वाहनों, घोड़ों और अन्य पशुओं पर कर।- (1) जब यह निर्धारित हो गया है कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों, घोड़ों और अन्य पशुओं पर कर लगाया जाएगा, तब आयुक्त बैठक में, धारा 138 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह आदेश देंगे कि प्रत्येक वाहन, घोड़े और उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकार के प्रत्येक अन्य पशु का स्वामी, जो नगरपालिका के भीतर रखा जाता है या सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है, या जो नगरपालिका के बाहर रखा जाता है और उसके भीतर सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है, ऐसे वाहन, घोड़े या अन्य पशु के संबंध में कर का भुगतान करेगा और ऐसे आदेश को धारा 356 में वर्णित रीति से प्रकाशित कराएगा।
>
> (2) xxx xxx xxx
>
> (3) ऐसा कर निम्नलिखित के संबंध में देय नहीं होगा-
>
> (क) xxx xxx xxx
>
> (ख) अध्याय X के अंतर्गत पंजीकृत वाहन और पशु:

(ग) xxx xxx xxx

xxx xxx xxx"

12. धारा 137 के उप-खंड (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अध्याय X के तहत पंजीकृत वाहनों और पशुओं के संबंध में ऐसा कर देय नहीं होगा। अध्याय X 'किराए पर चलने वाले वाहनों' से संबंधित है। 1922 अधिनियम की धारा 326 मोटर कारों और किराए पर चलने वाले वाहनों को विनियमित करने के लिए उप-नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इसलिए, धारा 326 को भी पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है। धारा 326 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "326. भाड़े पर चलने वाली मोटर-कारों और यानों को विनियमित करने के लिए उप-नियम बनाने की शक्ति - (1) आयुक्त बैठक में यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली मोटर-कारों और यानों को विनियमित करने के लिए उप-नियम बना सकेंगे, जो नगरपालिका के भीतर समय या दूरी के अनुसार रखे जाते हैं या भाड़े पर दिए जाते हैं या चलाए जाते हैं, और ऐसे उप-नियमों द्वारा ऐसी मोटर-कारों और यानों से संबंधित सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे जिनके संबंध में इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है या अपर्याप्त उपबंध है और आयुक्तों द्वारा, राज्य सरकार की मंजूरी से, उपबंध आवश्यक घोषित किया गया है:
>
> बशर्ते कि ऐसे उपनियम - (क) रेलवे या ट्रामवे पर उपयोग किए जाने वाले किसी वाहन पर लागू नहीं होंगे; और (ख) मोटर कारों के पंजीकरण के लिए या मोटर कार चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाएंगे।
>
> xxx xxx xxx"

13. धारा 326 के अनुसार, किराये पर चलने वाले सभी वाहनों को नगर पालिका द्वारा ऐसे कर लगाने से विशेष रूप से बाहर रखा गया है और परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड के

पास भी किराये पर चलने वाले वाहनों पर प्रवेश कर लगाने की कोई शक्ति या क्षमता नहीं है।

14. 1922 के अधिनियम की धारा 3(30) और 3(30-ए) में 'वाहन' और 'मोटर कार' को क्रमशः परिभाषित किया गया है। धारा 3(30) और 3(30ए) में निहित परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:-

> "3(30). "वाहन" का अर्थ है मोटर कार के अलावा कोई पहिया वाहन जो सड़क पर उपयोग में लाया जा सके और इसमें तिपहिया वाहन, साइकिल, साइकिल रिक्शा, जिनरिक्शा और शैम्पानी शामिल हैं।"
>
> "3(30-ए). "मोटर कार" से अभिप्राय है सड़कों पर उपयोग के लिए अपनाया गया कोई भी यांत्रिक रूप से चालित वाहन, चाहे उसमें प्रणोदन शक्ति किसी बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित की गई हो और इसमें चेसिस शामिल है, जिस पर बॉडी नहीं लगाई गई है और ट्रेलर; लेकिन इसमें स्थिर रेल पर चलने वाला या केवल मालिक के परिसर में उपयोग किया जाने वाला वाहन शामिल नहीं है।"

15. इसलिए, अधिनियम में दिए गए वाहन और मोटर कार की परिभाषा और प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि नगरपालिका के पास यांत्रिक रूप से चालित वाहनों पर कोई प्रवेश कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जब नगरपालिका के पास यांत्रिक रूप से चालित वाहनों पर प्रवेश कर लगाने का कोई अधिकार या क्षमता नहीं है, तो जाहिर है कि छावनी बोर्ड इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि छावनी बोर्ड की कर लगाने की शक्ति नगरपालिका में निहित किसी भी ऐसी संगत शक्ति पर निर्भर और सह-व्यापक है।

16. विवादित निर्णय में, खंडपीठ ने कहा कि धारा 82 और 137 का संयुक्त अध्ययन तथा 1922 अधिनियम की प्रथम अनुसूची पर एक नज़र डालने से स्पष्ट है कि 1922 अधिनियम के तहत बिहार में नगर पालिका को प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध वाहनों पर कर लगाने की शक्ति, अधिकार और अधिकारिता है, लेकिन ऐसा कर केवल उन वाहनों के संबंध

में लगाया जा सकता है जो नगरपालिका के भीतर रखे जाते हैं या सामान्य तौर पर उपयोग किए जाते हैं। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि प्रथम अनुसूची में कर की दर प्रति तिमाही के संबंध में है।

17. 1922 के अधिनियम की धारा 150 में "सामान्य क्रम में प्रयुक्त" की परिभाषा दी गई है। इसे इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "किसी वाहन, घोड़े या अन्य पशु को धारा 137 के अर्थ में सामान्य क्रम में प्रयुक्त माना जाएगा, यदि उसका उपयोग सप्ताह में औसतन तीन बार किया जाता है।"

18. धारा 137 में यह निर्धारित किया गया है कि केवल प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट वाहनों, घोड़ों और अन्य पशुओं पर ही कर लगाया जा सकता है और प्रथम अनुसूची, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, सभी यंत्रचालित वाहनों को स्पष्ट रूप से बाहर रखती है।

19. धारा 137 के अनुसार, यह शब्द कि कर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक वाहन, घोड़े या अन्य पशु पर लगाया जा सकता है, जो नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में रखा जाता है या उपयोग किया जाता है, का अर्थ है कि वाहन, घोड़ा या अन्य पशु जो नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में रखा जाता है या उपयोग किया जाता है, ऐसा कर देने के लिए बाध्य होगा। इसमें स्पष्ट रूप से यंत्रचालित वाहनों के लिए प्रवेश कर शामिल नहीं है। इस प्रकार, धारा 82 और 137 या 1922 अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान नगरपालिका को यंत्रचालित वाहनों पर कोई प्रवेश कर लगाने की अनुमति नहीं देता है। चूंकि नगरपालिका के पास यंत्रचालित वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने की कोई शक्ति, क्षमता या प्राधिकार नहीं है, इसलिए स्पष्टतः छावनी बोर्ड, रामगढ़, बिहार उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता।

20. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कैंटोनमेंट बोर्ड, महू एवं अन्य बनाम एम.पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (1997) 9 एससीसी 450 के मामले पर भरोसा जताया। इस मामले का हवाला इस प्रस्ताव के लिए दिया गया था कि चूंकि मध्य प्रदेश में कैंटोनमेंट बोर्ड को मोटर वाहनों पर प्रवेश कर लगाने की अनुमति दी गई है, इसलिए, इस मामले में कैंटोनमेंट

बोर्ड, रामगढ़, बिहार को भी मोटर वाहनों पर प्रवेश कर लगाने का अधिकार है। किसी भी भ्रम या गलतफहमी से बचने के लिए, हम मध्य प्रदेश के उक्त मामले पर विस्तार से विचार करना उचित समझते हैं।

21. मध्यप्रदेश राज्य विधानमंडल ने मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 के तहत मध्य प्रदेश की नगरपालिकाओं को वाहनों पर प्रवेश कर लगाने की शक्ति दी है। यह ध्यान देने योग्य है कि बिहार में नगरपालिकाओं को 1922 के अधिनियम के तहत प्रवेश कर लगाने की कोई शक्ति नहीं दी गई है।

22. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 का सुसंगत भाग इस प्रकार है:-

> "127. लगाए जा सकने वाले कर.-(1) परिषद, समय-समय पर, तथा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तथा किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार इस संबंध में जारी करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, संपूर्ण नगर पालिका पर या उसके किसी भाग पर निम्नलिखित में से कोई कर लगा सकेगी, अर्थात्:
>
> (1) * * *
>
> {ii) * * *
>
> (iii) नगरपालिका की सीमा में प्रवेश करने वाले पूर्वोक्त रूप से प्रयुक्त वाहनों, नावों और पशुओं पर कर, जो खंड (ii) के अधीन कराधान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।"

23. इसलिए, मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं द्वारा लगाया जाने वाला वाहन प्रवेश कर विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं को ऐसा कर लगाने के लिए दी गई विशिष्ट शक्ति के कारण है। एक बार नगरपालिका को प्रवेश कर लगाने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद, छावनी बोर्ड भी उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 1922 के अधिनियम के

तहत बिहार में नगरपालिकाओं को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है और परिणामस्वरूप, छावनी बोर्ड, रामगढ़, बिहार रामगढ़ छावनी बोर्ड क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए वाहन प्रवेश कर नहीं लगा सकता है। मध्य प्रदेश मामले की समानता पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि रामगढ़ छावनी बोर्ड भी वाहन प्रवेश कर लगाने में उचित है।

24. हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर वाहन पर कर लगाना, वाहन प्रवेश कर लगाने से पूरी तरह से अलग है। हम मध्य प्रदेश मामले (सुप्रा) के निर्णय के पैरा 14 को उद्धृत करना उचित समझते हैं, जो कानूनी स्थिति को और स्पष्ट करेगा।

> "14. मध्य प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत उपयोग में लाए जाने या उपयोग के लिए रखे जाने वाले मोटर वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127(1)(iii) के अंतर्गत नगर पालिका की सीमा में प्रवेश करने वाले मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले कर से भिन्न है और दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है और इसलिए दोनों प्रावधान अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। चूंकि नगर पालिका अधिनियम की धारा 127(1)(iii) के अंतर्गत नगर पालिका, नगर पालिका की सीमा में प्रवेश करने वाले मोटर वाहनों पर कर लगा सकती है, इसे छावनी बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ छावनी अधिनियम की धारा 60 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए लगाया जा सकता है। परिणामस्वरूप, महू, जबलपुर के छावनी बोर्डों द्वारा जारी अधिसूचनाएं हमारी राय में उच्च न्यायालय ने इस विशेष कानून अर्थात मध्य प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रतिकूल होने के आधार पर उन अधिसूचनाओं को रद्द करने में गलती की है।"

25. उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने माना कि छावनी बोर्ड को छावनी बोर्ड की सीमा के भीतर मोटर वाहनों पर प्रवेश कर लगाने का अधिकार है। यह इस आधार पर उचित ठहराया गया कि संबंधित नगरपालिका में भी इसी तरह की शक्ति निहित थी। यह फिर से

दोहराया जाता है कि, वर्तमान मामले में, बिहार विधानमंडल ने नगरपालिकाओं को प्रवेश कर लगाने की शक्ति नहीं दी है, इसलिए, छावनी बोर्ड, रामगढ़ के पास छावनी बोर्ड क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मोटर वाहनों पर प्रवेश कर लगाने का अधिकार या क्षमता नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण से, मध्य प्रदेश मामला (सुप्रा) अपीलकर्ताओं के वर्तमान मामले के संबंध में लागू नहीं होता है।

26. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने अविनाश एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य [2004(2) महाराष्ट्र एल.जे. 511] और सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, सिकंदराबाद बनाम एमआईएस अलाइड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एवं अन्य [1997 (1) आंध्र वीकली रिपोर्टर 160] पर भी भरोसा जताया है। चूंकि हम पहले ही मध्य प्रदेश के मामले को विस्तार से देख चुके हैं, इसलिए, उपर्युक्त मामलों के तथ्यों पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसी सादृश्य पर यह दोहराया जाता है कि इन मामलों का वर्तमान मामले में शामिल विवाद पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। विवादित निर्णय में खंडपीठ ने सही ढंग से टिप्पणी की कि डिप्टी कमिश्नर, हजारीबाग द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा विवादित कर लगाने पर आपत्ति करना पूरी तरह से उचित था क्योंकि बिहार में संबंधित नगर पालिकाओं को वाहन प्रवेश कर लगाने के लिए समान अधिकार नहीं दिए गए थे। विधायी योजना के मद्देनजर, छावनी बोर्ड को ऐसा प्रवेश कर लगाने से रोक दिया गया।

27. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में उपयोग किए जाने वाले या नगरपालिका के बाहर रखे जाने वाले तथा नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर धारा 137 के अंतर्गत कर लगाने की शक्ति, वाहन प्रवेश कर लगाने से भिन्न है। अधिनियम के अनुसार नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में रखे जाने वाले तथा नगरपालिका के भीतर सामान्य क्रम में उपयोग किए जाने वाले वाहनों, घोड़ों तथा अन्य पशुओं पर धारा 137 के मापदंडों के अंतर्गत कर लगाना, छावनी बोर्ड द्वारा प्रवेश कर लगाने से अधिक अनुमेय है। छावनी बोर्ड के पास छावनी

अधिनियम, 1924 की धारा 60 के अंतर्गत छावनी क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कर लगाने का कोई अधिकार या क्षमता नहीं थी। खंडपीठ के विवादित निर्णय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से न्यायोचित हैं तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

28. निर्णय से विदा लेने से पूर्व हम यह देखना चाहेंगे कि प्रतिवादी सं. 3 के अनुसार, छावनी बोर्ड ने प्रतिवादी सं. 3 को दिनांक 3.3.2001 के आदेश द्वारा वाहन प्रवेश कर वसूलने के लिए अधिकृत किया था और छावनी बोर्ड तथा प्रतिवादी सं. 3 के बीच हुए समझौते के अनुसार प्रतिवादी सं. 3 ने 25,000/- रुपये जमा कराए तथा नीलामी में प्रतिवादी सं. 3 ने सर्वाधिक बोली लगाने के कारण छावनी बोर्ड के बोर्ड के दिनांक 28.2.2001 के संकल्प के अनुसार 3.35 लाख रुपये जमा कराए। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार प्रतिवादी सं. 3 द्वारा जमा की गई राशि उसे आठ सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी, क्योंकि प्रतिवादी सं. 3 के अनुसार प्रतिबंध आदेश के मद्देनजर प्रतिवादी सं. 3 वाहनों पर प्रवेश कर लगाने के लिए कोई राशि नहीं वसूल सकता था। यह निर्देश समानता, निष्पक्षता और अच्छे विवेक के सुप्रसिद्ध कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। कोई और निर्देश आवश्यक नहीं है।

29. तदनुसार यह अपील लागत सहित खारिज की जाती है

एच एन.जे. **अपील खारिज की जाती है।**

<u>यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।</u>